Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जैसलमेर में पुलिस थाना रामगढ़ का उपनिरीक्षक, हैड कानिस्टेबल एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *12 नवम्बर, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **रामलाल जाट उपनिरीक्षक पुलिस, लक्ष्मीनारायण हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रामगढ़, जिला जैसलमेर एवं उनके दलाल अजयपाल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **6 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके विरूद्ध पूर्व में दर्ज आबकारी अधिनियम के मुकदमों में मदद करने, जब्त मोटरसाइकिल छोड़ने एवं किराणे की दूकान की बार–बार तलाशी नहीं लेने की एवज में आरोपीगण सीआई थानाधिकारी, रामलाल जाट उपनिरीक्षक पुलिस, लक्ष्मीनारायण हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रामगढ़, जिला जैसलमेर द्वारा उनके दलाल अजयपाल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **10 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर–द्वितीय के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राहुल कोटोकी** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपतचंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण रामलाल जाट उपनिरीक्षक पुलिस, लक्ष्मीनारायण हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना रामगढ़, जिला जैसलमेर एवं उनके दलाल अजयपाल सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **6 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान भी आरोपी हैड कानिस्टेबल लक्ष्मीनारायण द्वारा परिवादी से **4 हजार रुपये** दलाल अजयपाल सिंह को जरिये फोन–पे ट्रांसफर करवाकर वसूल कर लिये गये थे।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।